कार्यालय निदेशकः— हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी,(टि0ग0)

विज्ञप्ति संख्या/01/छात्रावास मैस/निविदा 2019—20 दि 03.08.2019

निविदा सूचना

हेमवती नन्दन बहुगुणा ग0वि0वि0 परिसर बादशाहीथौल टिहरी वर्ष 2019—20 के लिए पुरूष एवं महिला छात्रावास में भोजन आपूर्ति हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी वि0वि0 की वेवसाईट http://hnbgu.ac.in के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

इच्छुक निविदादाता, निविदा फार्म वि0वि0 के वेवसाईट http://hnbgu.ac.in से दिनांक 10.8.2019 तक डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

निविदाओं के निदेशक कार्यालय छत्रावास अनुभाग में शील्ड लिफाफे जमा करने की अन्तिम तिथि 10.8.2019 के सायं 5.00 बजे तक है। निविदाओं को निदेशक द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक 13.8.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे खोला जायेगा।

निदेशक

सयोंजक/ छात्रावास अधीक्षक

कार्यालय निदेशकः— हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी,(टि0ग0)

विज्ञप्ति संख्या / 01 / निविदा 2019—20 दि 03.8.2019

भोजन निविदा—प्रपत्र
वित्तीय वर्ष—2019—20

निविदा प्रपत्र के चार भाग हैं।
(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें
(ख) साप्ताहिक मैन्यू
(ग) तकनीकी बिड
(घ) प्राईज बिड

(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्ते :—प्रपत्र (क)

1. स्वामी रामतीर्थ परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी की छात्रावास समिति की ओर से छात्र / छात्राओं की भोजन व्यवस्था हेतु मैस संचालकों निविदादाताओं / ठेकेदारों से शील्ड निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। **निविदादाता को निविदा फार्म प्रपत्र (क), साप्ताहिक मैन्यू प्रपत्र (ख) तथा तकनीकी बिड प्रपत्र (ग) के प्रत्येक पेज / पृष्ट पर सहमति हस्ताक्षर कर उक्त से सम्बन्धित याचित प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियों को ए—4 साईज लिफाफे के अन्दर रखकर शील्ड लिफाफा जमा करना होगा । तथा प्राईज विड का प्रप़त्र (घ) का छोटा लिफाफा भी शील्ड कर जमा करना होगा।**

2. निविदा प्रपत्र वि0वि0 की वेवसाईट http://hnbgu.ac.in से डाउनलोड कर दिनांक 10.8. 2019 सायं 5 बजे तक शील्ड लिफाफे में परिसर निदेशक कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए।

3. **निविदाकर्ता को दोनो मैस (पुरूष तथा महिला) में से एक ही मैस आवॅटित की जायेगी। प्रथम आवॅटन पुरूष छात्रावास मैस का होगा तथा यदि किसी निविदादाता को पुरूष छात्रावास मैस आवटित हो जाती है तो उस निविदादाता को द्वितीय निविदा आवॅटन (महिला छात्रावास) में सम्मलित नही किया जायेगा। (यदि निविदादाता की दो निविदायें हों)**

4. निविदायें निदेशक द्वारा गठित मैस समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख **दिनांक 13.8.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेंगी।**
5. संलग्न निर्धारित मैन्यू के अनुसार पुरूष / महिला छात्रावास के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करनी होगी, जिसमें सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन,सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्रि का भोजन शामिल होगा।

6. **ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता को भोजनालय में नियमित उपस्थित रहना आवश्यक होगा ताकि व्यवस्थागत अनुश्रवण के साथ—2 परिसर प्रशासन के सम्पर्क में रह कर किसी भी शिकायत का त्वरित निदान करवाया जा सके।**

7. **माह मई 2020 अथवा ग्रीष्मावकाश के लिए बन्द होने तक** बिना किसी व्यवधान के भोजन की नियमित आपूर्ति करनी होगी।

8. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के साथ निविदा **प्रतिभूति** (धरोहर) राशि के रूप में रू0 5000.00 का डिमाण्ड ड्राप्ट/ बैंकर्स चैक जो निदेशक एस0आर0टी परिसर, बादशाहीथौल के पक्ष में सलंग्न करना होगा । न्यूनतम प्रथम या आवॅटित निविदाओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राप्ट/एफ0डी0आर0 अथवा बैंकर्स चैक धनराशि वापस कर दी जायेगी।

9. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर रू0 2,00,000.00 **(दो लाख मात्र)** कार्यपूर्ति राशि **एफ0डी0आर/टी0डी0आर** निदेशक हे0न0ब0ग0वि0वि0 परिसर, बादशाहीथौल टिहरी के नाम बन्धक बनाकर जमा करना होगा, साथ ही रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादन करना होगा । सत्र आरम्भ अथवा छात्रावास में प्रवेशार्थियों के प्रवेश होने पर कार्यादेश/आफर लेटर जारी किया जायेगा। **मैस आरम्भ करने के आदेश निर्गत होते ही मैस आरम्भ करनी अनिवार्य है।**

10. एफ0डी0आर0 बन्धक राशि 2.0 (दो लाख) जमा होने पर, निविदादाता को प्रतिभूति राशि रू0 5000.00 डिमाण्ड ड्राप्ट /बैंकर्स चैक निविदा दाता को वापस किया जायेगा ।

11. ठेकेदार को खाना बनाने के लिए बर्तन ईंधन/गैस भटटी, गैस सलेन्डर अथवा मैस में काम आने वाले बर्तन **(जैसे डोंगा,चम्मच,हाटकेश आदि प्रत्येक टेबल के हिसाब से)** एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री जैसे खाद्य/भोजन सामाग्री मीन्यू के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली सब्जी,दाल,चावल,आटा आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

12. ठेकेदार को अच्छे/उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य सामाग्रियों का उपयोग करना होगा, जिसका निरीक्षण परिसर स्तर पर गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन/समय–2 पर भोजन बनाने से पूर्व किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई सामाग्री अच्छे/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो ठेकेदार को सामाग्री बदलनी होगी।

13. ठेकेदार को परिसर समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही प्रातः चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन,सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्रि के भोजन की आपूर्ति करनी होगी। परिसर प्रशासन द्वारा किसी समय और परिस्थिति के अनुरूप आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवस्थापक को दी जायेगी।

14. ठेकेदार को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होगें। **(पुरूष छात्रावास में 08 तथा महिला छात्रावास में 05 कर्मचारी रखने होगें)** इस हेतु परिसर द्वारा अलग से कोई सहायता देय नहीं होगी। कर्मचारी छात्रावास संचालन हेतु समय समय पर बनायें जाने वाले नियमों/दिशा निर्देशों का पालन करेगें। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी क्षति एवं एवं अनुशासनहीनता हेतु सम्बन्धित ठेकेदार जिम्मेदार होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त कर्मचारी का बिना कारण बताये तुरन्त परिसर से बाहर कर दिया जायेगा । मैस कर्मचारी निर्धारित ड्रेस पहनकर भोजन बनायेगें तथा परोसेंगें।

15. परिसर प्रशासन द्वारा ठेकेदार को भोजन तैयार करने हेतु भोजनालय, डायनिंग हाल एवं स्टोर कक्ष उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसकी स्वच्छता एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। **डायनिंग हाल में टूट–फूट एवं मरम्मत पर आने वाले व्यय का वहन ठेकेदार को ही करना होगा।**

16. बिजली एवं पानी की व्यवस्था परिसर प्रशासन की होगी, ठेकेदार को मैस में हीटर का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध होगा। मैस ठेकेदार को मैस का किराया रू0 2000 तथा विधुत किराया रू0 1000 प्रति माह की 10 तारीख तक स्वयं छात्रावास कार्यालय मे जमा करना होगा ।

17. **अस्वस्थ छात्र/छात्राओं को खिचड़ी/दलिया इत्यादि जैसे भोजन की व्यवस्था करनी होगी।**

18. भोजन तैयार करने हेतु परिवेश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देगा होगा। **डायनिंग हाल की रोज पानी से धुलाई, शौचालय की सफाई करवानी होगी। बचा हुआ भोजन,जूठन,कूड़ा आदि नालियों में बहाकर गन्दगी नही फैलायी जायेगी।** बचे **भोजन को एकत्र कर परिसर से बाहर ले जा कर निस्तारण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी** । नालियों की सफाई प्रतिदिन करानी होगी, इसके लिए सफाई कर्मियों को भुगतान ठेकेदार को करना होगा ।

19. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना कान्ट्रेक्ट किसी दूसरे को हस्तान्तरित करने का अधिकार नही होगा, अन्यथा की स्थिति में कान्ट्रेक्ट तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा,साथ ही जमानत राशि जब्त कर दी जायेगी।

20. ठेकेदार को प्रत्येक माह छात्र/छात्राओं से भोजन धनराशि को अपने स्तर से लेना होगा ।

21. **परिसर में अधिकारिक अवकाश के दिनों में अनुपस्थित छात्रों से भोजन का बिल नहीं वसूला जायेगा।**

22. निविदादाता के लिए परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा अधिकतम निविदा दर रू0 90.00 प्रतिदिन प्रतिछात्र निर्धारित की गयी हैं। **दरें पूर्ण रूपये में दी जाय, पैसे में अंकित की गयी दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।**

23. संलग्न मैन्यू के अतिरिक्त यदि कोई निविदादाता अन्य सुविधा भी देनाा चाहता है तो उसका निविदा में स्पष्ट उल्लेख करें।

24. निविदा में निर्धारित अधिकतम दर एवं निविदादाता द्वारा दी गयी दर में यदि 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है तो निविदाओं के संबन्ध में निविदादाता द्वारा परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अन्तिम निर्णय समिति का होगा।
25. यदि दो या उससे अधिक निविदा कर्त्ताओं की निविदा दरें समान हो जाती हैं तो मैस समिति द्वारा निम्न बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जायेगा ।

(अ) संलग्न मीनू के अतिरिक्त निविदा कर्त्ता द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधा ।

(ब) मैस संचालक द्वारा मैस संचालन का कार्य अनुभव।

(स) परिसर में मैस संचालक द्वारा पूर्व में परोसे भोजन की गुणवत्ता।

(द) परिसर में मैस संचालक द्वारा संन्तोषजनक कार्य एवं छात्रों/परिसर प्रशासन के साथ कुशल

व्यवहार का आंकलन।

26 निविदादाता को अपनी ओर से किसी शर्त को रखने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात सशर्त एंव अपूर्ण निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।

27 निविदादाता को संलग्न मैन्यू के अनुसार ही अपनी भोजन दरें प्रतिदिन प्रति, छात्र के लिये देनी होगी । उक्त आशय का शपथ पत्र संलग्न मैनू सहित निविदादाता को 100.00 रूपये के स्टाम पेपर पर देना होगा।

28. निविदा स्वीकार होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध करना पड़ेगा और निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तो व निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा।

29. ठेकेदार को शासकीय नियम अनुसार आयकर एवं विक्रय कर स्वंय अपने स्तर से जमा करना होगा ।

30. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि परिसर में **निविदादाता तथा उसके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित सम्बन्धित कर्मचारियों के पतों के सत्यापन के साथ परिसर प्रशासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा तथा किसी भी प्रकार का नशा या धूम्रपान,मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किया जायेगा, अन्यथा निविदा को निरस्त करने का अधिकार परिसर प्रशासन को होगा।**

31. भोजनालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से बनवाकर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारी बदलने पर भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। **कर्मचारी बदलने पर लिखित सूचना परिसर छात्रावास कार्यालय को तत्काल देनी होगी**

32. किसी पाली विशेष में मैनू के अनुसार भोजन/नाश्ता उपलब्ध न कराने अथवा गुणवत्ता युक्त न होने की स्थिति में वार्डन की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान से कटौती की जायेगी और ऐसी **गम्भीर शिकायत तथा अव्यवस्था के प्रति तीन बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त कान्ट्रेक्ट निरस्त किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।**

33. किचन में अग्नि सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। भोजन बनाते समय पूर्ण सावधानी से कार्य किया जाना अपेक्षित है।

34. चम्बा नगर पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु जो भी यूजर्स चार्ज निर्धारित किया जायेगा उसका भुगतान मैस संचालक को करना होगा।
35. मैस की नालियॉ चोक होने पर तथा गडढे भरने पर ,नालियों/गडढे की सफाई आदि कार्य स्वयं ठेकेदार को अपने खर्चे पर करना होगा
36. मैस में ठेकेदार को अपना गीजर लगाना होगा ।

37. परिसर प्रशासन एक माह का नोटिस तथा मैस संचालक तीन माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं।
38. टेण्डर प्रक्रिया के दौरान एवं टेण्डर खुलने के बाद भी परिसर प्रशासन को टेण्डर निरस्त करने का अधिकार होगा।
39. निविदादाता यह सुनिश्चित करेंगें कि मैस में कार्य करने वाले श्रमिक श्रम कानून के अन्तर्गत कार्य कर रहे है, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मैस संचालक का होगा।
40. जिन निविदादाताओं ने पूर्व में परिसर में मैस संचालन का कार्य किया है उनको परिसर प्रशासन से सन्तुष्टि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
41. निविदा फार्म के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करें तथा निविदा खुलने के दिन **मूल प्रमाण पत्र** समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा अपूर्ण निविदाओ पर विचार नही किया जायेगा ।

(a) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त फूड वैध लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

(b) निविदादाता को व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है अतः वैध **(जी0एस0टी पंजीकरण)** प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

(c) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह की अवधि के अन्तर्गत का हो।

(d) निविदादाता द्वारा आवासीय विद्यालय/सरकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण सस्थान /शैक्षणिक संस्था में गत दो वर्षो में मैस संचालन का सन्तोषजनक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर भी प्रमाण पत्र में अंकित करें।

(e) स्थायी आयकर संख्या (पेन कार्ड) की छायाप्रति।

(f) विगत 03 वर्षो (निर्धारण वर्ष 2016–17,2017–18 एंव 2028–19)का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

(g) निविदा फार्म के साथ **प्रतिभूति** (धरोहर) राशि के रूप में रू0 5000.00 का बैंक ड्राप्ट निदेशक हे0न0ब0ग0वि0वि0 परिसर, बादशाहीथौल के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है।

(h) **निविदादाता के पास मैस संचॉलन कार्यो में पिछले 03 वर्षो 2016–17 2017–18 एंव 2018–19 में न्यूनतम ट्रनओवर तीस लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है, इस हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वैलेंस सीट एवं ट्रनओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।**

(i) निविदादाता की फर्म किसी भी सरकारी /आवासीय विद्यालय /शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान,इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होनी चाहिए इस आशय का नोटरी द्वारा शपथ पत्र निविदादाता द्वारा रू0100 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा

(j) यदि निविदादाता द्वारा आपूर्ति की खाद्य सामग्री के सेवन से किसी छात्र/छात्रा को नुकसान होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इस आशय का शपथ पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा ।

(k) निविदादाता द्वारा निविदा पत्र के साथ जो प्रप़त्र संलग्न किये गये है यदि वे प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी **(निविदादाता की)** इस आशय का शपथ पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा ।

(l) निविदादाता द्वारा निविदा पत्र के साथ जो प्रपत्र संलग्न किये गये हैं यदि वे प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी (निविदादाता की) होगी। इस आशय का शपथ पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा। यदि निविदादाता के उक्त प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो भविष्य में ऐसे निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा।

निदेशक संयोजक/छात्रावास अधीक्षक

प्रपत्र (ख) 2019–2020

कार्यालय निदेशकः– हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी (टि0ग0)
छात्रावास भोजन मैन्यू

दिन / वार	नाश्ता	दोपहर भोजन	सायं 4 वजे	रात्रि भोजन
रविवार	उबले आलू, टमाटर की सब्जी तथा रोटी एवं पूरी चाय	राजमा,चावल, खीर,सलाद	सायं की चाय तथा पेटीज क्रीम रोल विस्किट आदि में से एक अधिकतम रू0 5.00 के मुल्य का	मल्का दाल, आलू न्यट्री की सब्जी, रोटी,चावल,सलाद
सोमवार	आलू गोभी परांठा, अचार, दही चाय	दाल मखनी,चावल, आलू पालक की सब्जी ,रोटी सलाद	प्रतिदिन	दाल उड़द चना, आलू गोभी या आलू शिमला मिर्च की सब्जी,रोटी,चावल,सलाद
मंगलवार	छोले (कावली चना) सादा परांठा चाय	कड़ी, चावल,रोटी, आलू बीन की सब्जी, सलाद	प्रतिदिन	उड़द छिलका दाल, भिण्डी की सब्जी, चावल,रोटी,सलाद
बुद्ववार	छोले भटूरे चाय	काला चना ,पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी,चावल,सलाद	प्रतिदिन	शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर ,आलू बीन की सब्जी,रोटी,चावल,सलाद
बृहष्पतिवार	आलू गोभी मूली के परांठा अचार दही चाय	उडद राजमा मिक्स दाल,चावल आलू गोभी की सब्जी रोटी,सलाद	प्रतिदिन	मसूर की दाल,आलू न्यूट्री की सब्जी,रोटी,चावल,सलाद
शुक्रवार	उवले आलू, टमाटर एवं पनीर की सब्जी,रोटी एवं पुरी चाय	मिक्स दाल आलू बैंगन की सब्जी,रोटी चावल सलाद	प्रतिदिन	काला चना,पत्ता गोभी की सब्जी,रोटी चावल,सलाद
शनिवार	आलू मटर की (गाडी ग्रेवी) की सब्जी सादा परांठा चाय	अरहर दाल,आलू पालक की सब्जी,रोटी,चावल, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड़द चना, वैंगन भर्ता,चावल रोटी,सलाद

नोटः– 1– प्रत्येक बुद्ववार को रा़त्री भोजन में **(शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर)**

2–मैन्यू में सब्जियां मौसम के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है,किन्तु यह परिवर्तन तभी मान्य होगा जब मैन्यू में दी गयी सब्जी बाजार में उपलब्ध न हो।

3–प्रत्येक दिन सलाद में मूली,प्याज,गाजर या खीरा या अन्य सामाग्री जो बाजार में उपलब्ध हो अनिवार्य रूप से देनी होगी।

4–.छात्र / छात्रा की वीमारी की दशा में खिचड़ी या दलिया उपलब्ध करना होगा।

5– सुबह नाश्ते के साथ चाय तथा सायं 4 वजे प्रतिदिन अच्छी किस्म की चाय देनी होगी

प्रपत्र– (ग) 2019–2020

कार्यालय निदेशकः– हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर, बादशाहीथौल,टिहरी,(टि0ग0)

तकनीकि बिड

1. निविदादाता का नाम..
2. पता..
   फोन न0 कार्यालय...मोबाइल न0.....................................
3. फर्म का नाम व पता..
   ....
4. व्यापार कर प्रमाण पत्र (**G.S.T Number**)...
   (नियम शर्तो के अनुसार कर भुगतान प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

5- स्थाई आयकर खाता संख्या(**PA N N0)------------**

नियम शर्तों के अनुसार विगत दो वर्षों (2017–18 व 2018–19 का आयकर रिर्टन का प्रमाण पत्र तथा **Pan Card** की छाया प्रति संलग्न करें

6- धरोहर राशि का विवरण

(क) बैंक ड्राप्ट/एफ0डी0आर0 न0/बैकर्स चैक......................................(ख) दिनांक...........

(ग) धनराशि..............

7. कार्य अनुभवः– (नियम शर्तो के अनुसार)..

संलग्न का विवरण	1.	2
	3.	4
	5..	6.
	7.	8.

दिनांकः

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

व पूरा पताः

फोन/मो0 न0...

प्रपत्र– (घ)

कार्यालय निदेशकः– हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी,(टि0ग0)

वित्तीय बिड 2019–2020
बिल आफ क्वांटिटी

महोदय,

मैं निविदादाता परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा निर्धारित मीनू के आधार पर भोजन की आपूर्ति हेतु सहमत हूँ।

अतः प्रातः कालीन नाश्ते से सुवह की चाय लेकर रात्रि तक की भोजन व्यवस्था हेतु प्रतिदिन की दर निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं शर्तों का भली भॉति अध्ययन कर लिया गया है।

इकाई	दर प्रति छात्र प्रतिदिन (दर पूर्ण रूपये में दी जाय)
दर प्रति छात्र, प्रति दिन, (प्रपत्र) (ख) में निर्धारित मैनू अनुसार)	रूपये (अंकों में).. शब्दों में ....

दिनांकः

हस्ताक्षर निविदादाता....................................

नामः–

पताः–

मोबाइल न0ः–